

दिनांक... 8/11/19... उपस्थित।
आज पीठासीन अधिकारी महोदय नं० ७७४ सुनाव कार्य में व्यस्त
पधारें हुए हैं अतः पेशी इलतवा होकर पत्रावली
आयंदा दिनांक... 23/12/19... पेश हो।
इम
रीडर,
उपखण्ड न्यायालय, सुमेरपुर

23/12/19

पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील अनुपस्थित।
वादी व उनके अधिवक्ता का बार-बार
आवाजे दिलवाई गई, वादी व उनके अधिवक्ता
अनुपस्थित रहे हैं। वाद में प्रतिवादी गणों की
तलबी हेतु PIF सम्मन पेश करने हेतु
बार-बार समय दिया जाने के उपरान्त
भी PIF सम्मन पेश नहीं किये गये हैं।
दिनांक 30/10/19 को आदेशिका में स्पष्ट
निर्देश दिये गये थे कि आगामी तारीख
पेशी पर PIF सम्मन पेश नहीं करने पर
C.P.C नियमों के तहत कार्यवाही की जाकेगी-
उसके उपरान्त भी PIF सम्मन पेश नहीं
करने से वादी का वाद NON compliance
एवं अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में
रवारीज किया जाता है। नियम सरेइजलास
सुनाया गया। पत्रावली के लल श्रुताए होकर
नम्बर 6 कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

